कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-18/2016-594 **दिनांक : 6/8/21**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
परियोजना समन्वय इकाई,
झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना में स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार एवं पदस्थापित पदाधिकारियों हेतु कुल **रू0 109.270 लाख (एक करोड़ नौ लाख सताईस हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 7/यो0बजट-40/2015-03/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.07.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-40/2015-23/आ0 व0प0 दिनांक 26.07.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष- 110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष- 02 विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 109.270 लाख (एक करोड़ नौ लाख सताईस हजार रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
वेतन	19S240602110020101	98.270
छुट्टी यात्रा रियायत	19S240602110020112	2.000
देशीय यात्रा व्यय	19S240602110020213	2.000
कार्यालय व्यय	19S240602110020315	2.000
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240602110020323	2.000
दूरभाष	19S240602110020333	1.000
मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	19S240602110020442	2.000
कुल :-		**109.27**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची होंगे। उक्त राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालपन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए

उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। स्थापना व्यय से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–1**, स्वीकृत एवं धारित पदों की विवरणी **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240602110020101, 19S240602110020112, 19S240602110020213, 19S240602110020315, 19S240602110020323, 19S240602110020333 तथा 19S240602110020442 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–7/यो0ब0–40/2015–01/स्वी0 दिनांक 03.06.2020 द्वारा विषयांकित पद समूहों के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्णित पद समूह विश्व बैंक सहायता प्राप्त वन प्रबंधन योजनान्तर्गत है। यह चालू योजना है। अतएव वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भी अवधि विस्तार एवं तद्नुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4 झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना सृजन का उद्देश्य विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होने वाली राशि से राज्य के वनों में वन प्रबंधन के विभिन्न आयामों यथा सुरक्षा, विस्तार एवं उत्पादन में ग्राम समुदाय का पूर्ण सहयोग प्राप्त करते हुए उनकी निर्धनता में सार्थक कमी लाना है। वर्त्तमान में इस परियोजना के परियोजना समन्वय इकाई (Project coordination unit, i.e. PCU) के लिए सृजित पदों के धारक पदाधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा निदेश के आलोक में कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक–20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में CASH का भुगतान नहीं किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप–आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. चूंकि यह पूर्णतः अस्थायी स्थापना है, अतएव राशि की निकासी के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी।

10. वित्त विभाग का ज्ञापांक–810/वि0 दिनांक–30.04.2020 का अक्षरशः पालन किया जाय।

12. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक–1254 दिनांक–20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

13. स्वीकृत्यादेश तथा वर्त्तमान आवंटन आदेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–18/2016–**594 दिनांक–6/8/21

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक–सह–परियोजना निदेशक, झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–18/2016–**594 दिनांक–6/8/21

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जा
व्यय) के अन्तर्गत झारखण्ड सहभागी वन

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन	छुट्टी रि
i	ii	iii	
1	उप वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची	98.270	2.
योग :–		***98.270***	**2.**

विश्व बैंक सम्पोषित झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना के परियोजना समन्वय इकाई के लिए स्वीकृत अस्थायी पदों की विवरणी

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	धारित पद
1	मुख्य वन संरक्षक–सह–परियोजना निदेशक, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची	205600	1	1
2	वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची	192500	1	-
3	वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची	192500	1	-
4	उप वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची	122900	1	-
योग :–			**4**	**1**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-18/2016/594 दिनांक - 06-Aug-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060211002010101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 02 - विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 01-विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	38443	DRNFWL083 VIJAY SHANKAR DUBEY DY.CF.JPFM.PROJECT RANCHI 01 - वेतन	9,827,000.00 रुपये अठानवे लाख सत्ताइस हजार
2	S 19 24060211002010112 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 02 - विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 01-विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	38445	DRNFWL083 VIJAY SHANKAR DUBEY DY.CF.JPFM.PROJECT RANCHI 12 - छुट्टी यात्रा रियायत	200,000.00 रुपये दो लाख
3	S 19 24060211002010213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 02 - विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 01-विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 02 - यात्रा भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	38447	DRNFWL083 VIJAY SHANKAR DUBEY DY.CF.JPFM.PROJECT RANCHI 13 - देशीय यात्रा व्यय	200,000.00 रुपये दो लाख

योग: रुपये एक करोड दो लाख सत्ताइस हजार 10,227,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
APDL, PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 59.97.147.19 Run Date 6/8/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060211002010315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 02 - विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 01-विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	38449	DRNFWL083 VIJAY SHANKAR DUBEY DY.CF.JPFM.PROJECT RANCHI 15 - कार्यालय व्यय	200,000.00 रुपये दो लाख
5	S 19 24060211002010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 02 - विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 01-विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	38451	DRNFWL083 VIJAY SHANKAR DUBEY DY.CF.JPFM.PROJECT RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	200,000.00 रुपये दो लाख
6	S 19 24060211002010333 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 02 - विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 01-विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	38455	DRNFWL083 VIJAY SHANKAR DUBEY DY.CF.JPFM.PROJECT RANCHI 33 - दूरभाष	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: 500,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड सात लाख सत्ताइस हजार 10,727,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

पत्र संख्या - 01/YB-18/2016/594 दिनांक - 06-Aug-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060211002010442 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 02 - विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीत्र वन प्रबंधन योजना 01-विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन	38456	DRNFWL083 VIJAY SHANKAR DUBEY DY.CF.JPFM.PROJECT RANCHI 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	200,000.00 रुपये दो लाख

State Scheme : NA
Centeral Scheme : NA

योग:	रुपये एक करोड नौ लाख सत्ताइस हजार	200,000.00
क्रमिक योग:		10,927,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 59.97.147.19 Run Date : 6/8/2021 [illegible]